राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG)

सन्दर्भ: भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एकीकरण की सराहना की है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने घोषणा की है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाएगा।
- यह प्लेटफ़ॉर्म लंबित मामलों पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है।
- सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रयास से न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस टीम द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म मामले की जानकारी तक वास्तविक समय में पहुंच की अनुमति देता है, जिसमें वर्ष-वार लंबित मामले, कुल पंजीकृत, गैर-पंजीकृत मामले और कोरम द्वारा तय किए गए मामले शामिल हैं।

एनजेडीजी क्या है?

- एनजेडीजी 2015 में लॉन्च किए गए ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
- इसमें 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों सहित उच्च न्यायालयों के आदेश, निर्णय और मामले का विवरण शामिल है।
- सभी सम्बंधित अदालतों द्वारा डेटा को वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है, जिससे देश भर में न्यायिक कार्यवाही के बारे में जानकारी मिलती रहती है।
- जनता को सुलभता प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय भी एनजेडीजी में शामिल हो गए हैं।
- एनजेडीजी राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्य नीति के साथ संरेखित है, जो सरकारी पहुंच के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है।
- इसे प्रारंभ में संस्थागत वादियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, अब इसकी योजना गैर-संस्थागत वादियों तक पहुंच बढ़ाने की है।
- एनजेडीजी लंबित मामलों की प्रभावी ढंग से निगरानी करता है और उन्हें कम करता है साथ ही नीतिगत निर्णयों और संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है।
- इसमें भूमि विवाद मामलों पर नज़र रखने के लिए इसे 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा से जोड़ा गया है।
- विश्व बैंक ने अनुबंध प्रवर्तन की सुविधा के लिए अपनी 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में एनजेडीजी को मान्यता दी है।

ई-कोर्ट पहल के तहत अन्य पहल

- **ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट (ICMMP):**सर्वोच्च न्यायालय की इस पहल का उद्देश्य न्यायिक दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए जिला और अधीनस्थ अदालतों को कम्प्यूटरीकृत करना है।
- **सुप्रीम कोर्ट ई-समिति:** इसमें वैसे न्यायाधीश शामिल हैं जो ई-कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं, निचली अदालतों को प्रौद्योगिकी अपनाने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।
- **मोबाइल एप्लिकेशन:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित, यह ऐप मामले की स्थिति, निर्णय और वकील की जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे कानूनी जानकारी जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरस्थ सुनवाई के लिए अपनाया गया था, विशेष रूप से COVID -19 महामारी के दौरान मूल्यवान, निरंतर अदालती संचालन सुनिश्चित करने के लिए।
- **अभिलेखों का डिजिटलीकरण:** यह न्यायपालिका में पहुंच, योग्यता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए निर्णयों और आदेशों सहित सभी रिकॉर्डों को डिजिटल बनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक परियोजना है।

राष्ट्रीय रसद (Logistics) नीति, 2022

सन्दर्भ: भारत 17 सितंबर, 2023 को राष्ट्रीय रसद नीति की शुरुआत का प्रथम वर्षगांठ मना रहा है।

उद्देश्य: एनएलपी का लक्ष्य प्रौद्योगिकी और कौशलयुक्त जनशक्ति के माध्यम से एक कुशल, हरित एवं लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क स्थापित करके, लागत कम करके और प्रदर्शन को बढ़ाकर भारत की आर्थिक वृद्धि तथा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

लक्ष्य: एनएलपी का लक्ष्य (i) भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, (ii) 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने के लिए लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना, और (iii) एक कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा-संचालित निर्णय समर्थन बनाना है।

व्यापक रसद कार्य योजना (CLP)

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एनएलपी में निम्नलिखित कार्य क्षेत्र शामिल हैं:

- एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली।
- भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता बेंचमार्किंग।
- रसद मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण।
- राज्य संलग्नता।
- आयात-निर्यात (EXIM) लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना।
- सेवा सुधार ढांचा।
- कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजनाएं (SPEL)।
- लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास की सुविधा।

कार्यान्वयन की प्रगति

- **यूनिफ़ाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP):**
  - इसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण के लिए लाया गया था, जो उपयोगकर्ताओं के लिए एकल सुविधा की पेशकश करता है।

- यह सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों में 34 लॉजिस्टिक्स-संबंधित डिजिटल सिस्टम/पोर्टल को एकीकृत करता है।

➢ **यूलिप के साथ जीएसटी डेटा एकीकरण:**

- यह 614 से अधिक उद्योग खिलाड़ियों के पंजीकरण के साथ, निजी क्षेत्र के उपयोग के मामले के विकास की अनुमति देता है।
- अब तक 106 निजी कंपनियों ने एनडीए पर हस्ताक्षर किए हैं, और 142 ने 382 उपयोग मामले प्रस्तुत किए गए हैं।

➢ **आयत-निर्यात (EXIM):**

- व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने और EXIM लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने के लिए उपाय किए गए हैं।
- बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर किया जा रहा है।
- व्यापक बंदरगाह कनेक्टिविटी योजना विकसित की गई है।
- बंदरगाह उत्पादकता में सुधार और रसद लागत को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- EXIM कार्गो पर नज़र रखने के लिए लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) की स्थापना की गई है।

➢ **मानव संसाधन विकास:**

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए योग्यता निर्माण।
- क्षमता निर्माण हेतु वेबिनार का आयोजन।
- पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किये जा रहे हैं।

➢ **कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना (SPEL):**

- क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं विकसित करना।
- बल्क और ब्रेक-बल्क कार्गो मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करना।
- कुशल कोयला निकासी और इस्पात क्षेत्र की योजनाएं कार्यरत हैं।

➢ **राज्य की भागीदारी:**

- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एनएलपी के अनुरूप राज्य लॉजिस्टिक्स योजनाएं (एसएलपी) विकसित कर रहे हैं।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन की निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज (LEADS) सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है।
- 22 राज्यों ने राज्य रसद नीतियों को अधिसूचित किया है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रसद लागत का अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

OIML(इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) प्रमाणपत्र

सन्दर्भ: भारत अब OIML (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत दुनिया के 13 देशों की सूची में शामिल हो गया है।

➢ घरेलू निर्माता भारत में अपने वजन और माप उपकरणों का परीक्षण करा सकते हैं, जिससे उन्हें इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की अनुमति मिल जाएगी।

➢ यह अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के लिए भारत में अपने उपकरणों का परीक्षण करने का अवसर देता है, जिससे देश में राजस्व सृजन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

➢ इस पहल का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाते हुए वजन और माप उपकरणों में व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

OIML सदस्यता और प्राधिकरण

➢ 1955 में स्थापित ओआईएमएल एक अंतरसरकारी संगठन है।

➢ भारत 1956 में इसका सदस्य बना।

➢ ओआईएमएल में 63 सदस्य राज्य और 64 संबंधित सदस्य शामिल हैं।

➢ भारत वैश्विक स्तर पर बाट और माप बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ओआईएमएल प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है।

➢ उपभोक्ता मामलों का विभाग अब ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जो वजन और माप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए एक आवश्यकता है।

ओआईएमएल मानकों का अनुपालन:

➢ भारत वजन पैमाने के लिए ओआईएमएल की सिफारिशों और परीक्षण/अंशांकन प्रक्रियाओं का पालन करता है ।

➢ वैधानिक भार एवं मापन (लीगल मेट्रोलॉजी) की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट ओआईएमएल जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा स्वीकार की जाती है।

➢ अब भारत ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिससे घरेलू निर्माताओं को अतिरिक्त परीक्षण लागत के बिना दुनिया भर में अपने उपकरणों के निर्यात में सहायता मिलेगी।

➢ भारत ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करके, शुल्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा उत्पन्न करके विदेशी निर्माताओं का भी समर्थन कर सकता है।

ओआईएमएल नीतियों का प्रभाव:

➢ भारत के पास अब ओआईएमएल की नीतियों को प्रभावित करने और ओआईएमएल रणनीति में योगदान करने की क्षमता है।

➢ यह प्रणाली सदस्य राज्यों में ओआईएमएल जारीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए ओआईएमएल प्रमाणपत्रों को माप उपकरणों के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय प्रकार के अनुमोदन के आधार के रूप में काम करने की अनुमति देती है।

- इससे अन्य ओआईएमएल सदस्यों के लिए महंगी परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता कम हो जाती है।

राष्ट्रों का विशिष्ट समूह

- भारत OIML अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया सहित दुनिया भर के 13 देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है।
- यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और व्यापार सुविधा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (DACA)

सन्दर्भ: एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया है कि डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (DACA) नीति, जो युवा अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास और काम करने की अनुमति देती है, गैरकानूनी है।

डीएसीए क्या है?

- 15 जून 2012 को, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव ने कुछ शासकीय अनुमति देते हुए डीएसीए की घोषणा की थी। गैर-दस्तावेजी अप्रवासी जो बचपन में अमेरिका आए थे, उन्होंने नवीन कानूनी कार्रवाई के तहत दो साल की रियायत का अनुरोध किया था।
- डीएसीए का उद्देश्य 'ड्रीमर्स' के रूप में जाने जाने वाले युवाओं के लिए आव्रजन नीति में सुधार करना है, जो ड्रीम बिल से लिया गया है, जिसमें बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को कानूनी निवास प्रदान करने की मांग की गई है।
- यद्यपि ड्रीम बिल को विधायी विफलता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 2012 में ओबामा प्रशासन द्वारा डीएसीए की शुरुआत की गई।
- यूएससीआईएस डीएसीए पात्रता के लिए मानदंड निर्धारित करता है, जिसमें 16 वर्ष की आयु से पहले आगमन, शैक्षणिक योग्यता, कोई गुंडागर्दी नहीं होना और राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं होना आदि शामिल है।
- डीएसीए पात्र व्यक्तियों को कार्य प्राधिकरण का अनुरोध करने और नौकरी करने की अनुमति देता है, लेकिन यह वैध स्थिति प्रदान नहीं करता है। यह अभियोजन पक्ष के विवेक का प्रयोग है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विस्थापन की कार्रवाई को स्थगित करता है।

डीएसीए की आवश्यकता:

- 2012 में, ओबामा ने "ड्रीमर्स (Dreamers)" की स्थिति का उल्लेख किया था, जो कि बच्चों के रूप में अमेरिका में लाए गए बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी थे।
- डीएसीए ने कई मध्य और दक्षिण अमेरिकी अप्रवासियों को परमिट प्रदान किए हैं।
- 2011 में भारत गैर-दस्तावेजीकृत व्यक्तियों के लिए सातवां सबसे बड़ा मूल देश था, जहां केवल कुछ हजार भारतीय डीएसीए परमिट का उपयोग करते थे।
- अमेरिकी आव्रजन दो गुटों, डेमोक्रेट (आम तौर पर अधिक उदार हैं) और रिपब्लिकन (जो कि सख्त नीतियों की वकालत करते हैं) के मध्य एक विभाजनकारी मुद्दा है।
- इससे सम्बंधित प्यू (Pew) रिसर्च सख्त सीमा नियंत्रण (73%) और शरणार्थियों (72%) की सहायता के लिए द्विदलीय समर्थन दिखाता है।
- डीएसीए, गैर-दस्तावेजी आप्रवासी बच्चों को रहने और कानूनी स्थिति के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
- यद्यपि व्हाइट हाउस ने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की लेकिन डीएसीए की रक्षा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाना स्वीकार किया।

प्रवासन के प्रकार

- **राजनीतिक सीमाओं से**:
  - **आंतरिक प्रवास**: किसी देश के भीतर, राज्यों, जिलों या शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के बीच राजनीतिक सीमाओं को पार करते हुए प्रवास करना होता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन**: देश की सीमाओं के पार होता है, जिसमें आप्रवासी (किसी विदेशी देश में प्रवेश करना) और प्रवासी (अपना देश छोड़ना) शामिल होते हैं।
- **विभिन गतिविधियों द्वारा**:
  - **चरणबद्ध प्रवासन:** इसमें शहरी पदानुक्रम में छोटी बस्तियों से बड़ी बस्तियों की ओर क्रमिक स्थानांतरण शामिल है।
  - **चक्रीय प्रवासन:** इसमें मूल और गंतव्य के बीच चक्रीय प्रवासन शामिल होता है, जिसमें अक्सर मौसमी या अस्थायी प्रवास शामिल होता है।
  - **मौसमी प्रवास**: श्रम या जलवायु परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में आम, जैसे खेत में काम करने वालों द्वारा फसल चक्र का पालन करना।
  - **वापसी प्रवास**: इसका तात्पर्य एक बार प्रवास करना और फिर मेजबान क्षेत्र से लंबे समय तक दूर रहने के बाद वापस लौटना है।
  - **श्रृंखला प्रवासन**: इसमें परिवारों या लोगों के समूहों का प्रवासन शामिल होता है, जिसे अक्सर उन लोगों द्वारा समर्थित किया जाता है जो उनसे पहले प्रवासित हुए थे।
- **निर्णयन द्वारा**:
  - **स्वैच्छिक प्रवास**: किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा और बेहतर जीवन या बेहतर वित्तीय स्थिति की इच्छा से प्रेरित।
  - **अनैच्छिक प्रवास**: यह तब होता है जब प्रतिकूल पर्यावरणीय या राजनीतिक परिस्थितियों के कारण व्यक्तियों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है।
  - **अनिच्छुक/प्रेरित/प्ररोपित प्रवासन**: बाहरी कारकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया लेकिन जरूरी नहीं कि मजबूर किया गया हो।
  - **जबरन पलायन**: इसमें घर लौटने में असमर्थ व्यक्ति (शरणार्थी), शरण मांगने वाले, या सीमाओं को पार किए बिना संघर्ष या विकास के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोग शामिल हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

15 September, 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

बागमती नदी

बागमती नदी एक ट्रांसबाउंड्री (सीमापार) नदी के रूप में कार्य करती है, जो नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है।
उत्पत्ति: काठमांडू, नेपाल।
कुल लंबाई: 586.3 किमी.
प्रवाह क्षेत्र: बागमती नदी नेपाल में काठमांडू घाटी से होकर दक्षिण की ओर बहती है।
संगम: यह भारत के बिहार में बोर्नस्थान के निकट कोसी नदी में विलीन हो जाती है।
धार्मिक महत्व: बागमती नदी को हिंदू और बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं।
प्रदूषण संबंधी चिंताएँ: अपने धार्मिक महत्व के बावजूद, यह नदी, इसके किनारे रहने वाली बड़ी आबादी के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गई है।
धार्मिक स्थल: पशुपतिनाथ मंदिर जैसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल इसके तट पर हैं।
सहायक नदियाँ: इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बिष्णुमती नदी और मनोहरा नदी हैं।

लाल अग्नि चींटियाँ

लाल अग्नि चींटियाँ (Red Fire Ants) क्या हैं?
लाल आयातित अग्नि चींटियाँ, जिन्हें अग्नि चींटियाँ भी कहा जाता है, अत्यधिक आक्रामक चुभने वाली चींटियाँ हैं जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की हैं।
उत्पत्ति: इन्हें हाल ही में पहली बार यूरोप में पहचाना गया है।
वैज्ञानिक नाम: सोलेनोप्सिस इनविक्टा
भौतिक विशेषताएं:

- **रंग:** ये तांबे जैसे सिर वाली लाल-भूरे से लाल-काले रंग की होती हैं।
- **आकार**: प्रायः लंबाई 1/8 से 1/4 इंच (3-6 मिमी) होती है।
- **शरीर**: एक स्पष्ट दो-भाग वाले वक्ष के साथ खंडित।

आक्रामकता और डंक: इन्हें आक्रामक व्यवहार और मनुष्यों में तीव्र जलन और खुजली पैदा करने वाले जहरीले डंक के लिए जाना जाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: अग्नि चींटियाँ स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को नुकसान पहुँचा सकती हैं, फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं और देशी प्रजातियों को बाधित कर सकती हैं, जिससे पारिस्थितिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

कॉकलियर इम्प्लांट (सीआई)

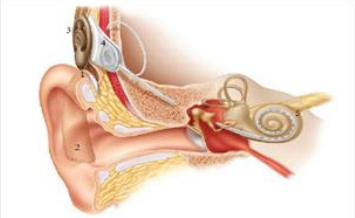

कॉकलियर इम्प्लांट (Cochlear Implants) के बारे में:

- कॉक्लियर इम्प्लांट एक चिकित्सा उपकरण है जो गंभीर से गहन कम श्रवण वाले व्यक्तियों में सुनने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।
- जिन व्यक्तियों को पारंपरिक श्रवण यंत्रों से लाभ नहीं होता है, उनके लिए श्रवण बहाल करने में कॉकलियर प्रत्यारोपण अत्यधिक लाभकारी साबित हुआ है।
- यह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और सर्जिकल तकनीकों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो आंतरिक कान में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बायपास करने की अनुमति देता है।
- कॉकलियर प्रत्यारोपण इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉकलियर तंत्रिका को उत्तेजित करके काम करता है, जो सुनने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका है, इस प्रकार यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के कार्य की नकल करता है।
- इन प्रत्यारोपणों में बाहरी और आंतरिक दोनों घटक शामिल होते हैं, जिसमें एक माइक्रोफोन, स्पीच प्रोसेसर और कोक्लीअ (आंतरिक कान) में शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड सरणी शामिल है।
- तमिलनाडु का कॉकलियर इम्प्लांट कार्यक्रम, जो कम आय पृष्ठभूमि वाले छह साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त प्रत्यारोपण प्रदान करता है, अत्यधिक सफल रहा है।

एपिज़ूटिक रक्तस्रावी रोग

के बारे में:

- एपिज़ूटिक रक्तस्रावी रोग (Epizootic Haemorrhagic Disease-EHD) एक वायरस के कारण होने वाली कीट-जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से जंगली और घरेलू जुगाली करने वाली प्रजातियों को प्रभावित करती है।
- यह एक गंभीर मवेशी रोग के रूप में उभरा और 2008 में इसे पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन की उल्लेखनीय बीमारियों की सूची में जोड़ा गया।
- ईएचडी विशेष रूप से जानवरों को प्रभावित करता है; इससे मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है।
- यह रोग एपिज़ूटिक हेमोरेजिक रोग वायरस (ईएचडीवी) के कारण होता है, जो ऑर्बिवायरस जीनस का हिस्सा है।
- ईएचडीवी क्यूलिकोइड्स मिडज, छोटी काटने वाली मक्खियों के माध्यम से फैलता है।
- प्रभावित जानवरों में बुखार, कमजोरी, त्वचा पर चकत्ते, रक्तस्राव और सांस लेने में कठिनाई सहित विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, विशेषकर हिरणों में।
- ईएचडी के विरुद्ध कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
- स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिणी इटली में हाल के मामलों ने यूके में निगरानी प्रयासों को प्रेरित किया है।

वेगस तंत्रिका

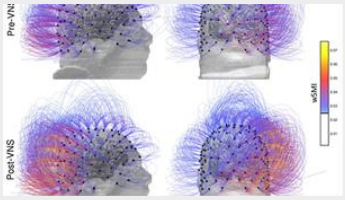

वेगस तंत्रिका (Vagus Nerve) क्या है?

- वेगस तंत्रिका या कपाल तंत्रिका पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा, यह हृदय गति, रक्तचाप और पाचन सहित विभिन्न कार्यों को प्रभावित करता है।

अनुसंधान रुचि: वेगस नसें लंबी होती हैं और शरीर के प्रमुख अंगों से जुड़ी होती हैं, जो शोधकर्ताओं के लिए, उन्हें रुचिकर बनाती हैं।
अनुसंधान के उद्देश्य: शोधकर्ता, पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके संभावित लाभों के लिए वेगस तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं।
मौजूदा अनुप्रयोग:

- पारंपरिक उपचार अप्रभावी होने पर मिर्गी और अवसाद के इलाज के लिए वेगस तंत्रिका उत्तेजना का उपयोग किया जाता है।
- इसमें या तो प्रत्यारोपित करने योग्य उपकरण या गैर-आक्रामक, त्वचा से जुड़े उपकरण शामिल हैं।

अनुप्रयोगों का विस्तार: शोधकर्ता माइग्रेन, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, शराब, संधिशोथ, अल्जाइमर, मल्टीपल स्केलेरोसिस और आंत विकारों जैसी विभिन्न स्थितियों के लिए वेगस तंत्रिका उत्तेजना का अध्ययन कर रहे हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

समाचारों में स्थान

आर्मीनिया

आर्मेनिया (राजधानी: येरेवान)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर लागू व सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने में सहयोग के लिए आर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।

स्थान: आर्मेनिया ट्रांसकेशिया में एक भूमि से घिरा देश है, जो काकेशस पर्वत के दक्षिण में स्थित है।

राजनीतिक सीमाएँ: आर्मेनिया अपनी सीमाएँ अज़रबैजान, नागोर्नो-काराबाख गणराज्य (एक विवादित क्षेत्र), तुर्की, नखचिवन स्वायत्त गणराज्य (अज़रबैजान का एक क्षेत्र), जॉर्जिया और ईरान के साथ साझा करता है।

भौगोलिक विशेषतायें :

- आर्मेनिया एक पहाड़ी देश है जहां कोई तराई नहीं है।
- माउंट अरागाट्स (जिसे अलाघेज़ के नाम से भी जाना जाता है) सबसे ऊंची चोटी है
- **प्रमुख नदी:** अरास

POINTS TO PONDER

- **हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18 b पर क्या खोजा?** -कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन
- **ई-कोर्ट परियोजना के चरण II के तहत कितने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया?** -18,735
- **स्किल इंडिया डिजिटल (SID) प्लेटफॉर्म किस कार्यक्रम का हिस्सा है?** -संकल्प
- **कौन सी नदी उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व को घेरती है?** -कबिनी नदी
- **भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल के रूप में, किसने "इंग्लिश एवर, हिंदी नेवर" के नारे के साथ तमिलनाडु में हिंदी थोपने का विरोध किया था?** -सी. राजगोपालाचारी